रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 13, 2013/कार्तिक 22, 1935
No. 563] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 13, 2013/KARTIKA 22, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली , 13 नवम्बर, 2013

सं. 30/2013-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 735 (अ).—जबकि नामित प्राधिकारी ने दिनांक 23 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 23 मार्च, 2012 की अपनी अधिसूचना सं. 15/7/2011-डीजीएडी, के अंतर्गत स्विटजरलैंड एवं चीन जनवादी गणराज्य (यहां जिसे विषयगत देशों के रूप में संदर्भित किया गया है) से मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए विटामिन ए पाल्मिटेट (यहां जिन्हें विषयगत वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया गया है) जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे यहां उपर्युक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की पथम अनुसूची में उपशीर्ष 2936 21 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 30 अक्तूबर, 2007 को सा.का.नि. सं. 683 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 30 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना सं. 112/2007-सीमा-शुल्क के अंतर्गत लागू किया गया था, को बनाए रखने के मामले की समीक्षा शुरू की थी।

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र के असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 12 अप्रैल, 2012 को सा.का.नि. सं. 290 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना सं. 21/2012-सीमा-शुल्क (एडीडी) के द्वारा, 27 मार्च, 2013 तक विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की गई विषयगत वस्तुओं पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क को बनाए रखा था ।

और जबकि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तुओं के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में पद नामित पदाधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में दिनांक 21 अगस्त , 2013 को प्रकाशित दिनांक 21 अगस्त, 2013 के अपने अंतिम निष्कर्ष सं. 15/7/2012-डीजीएडी के अंतर्गत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

(i) संबद्ध देशों से भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रही है और पाटन मार्जिन अत्यधिक है ।

(ii) मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात पाटित कीमतों पर जारी है और मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में इसके जारी रहने की संभावना है ।

(iii) संबद्ध देशों से पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने की संभावना है।

(iv) घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है और इसीलिए यदि संबद्ध देशों में वर्तमान पाटनरोधी शुल्क वापस लिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

और यह सिफारिश की है कि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तुओं के लिए प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जारी रखा जाए।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर अधोलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देश में उद्गमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए ऐसे मामलों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त, सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से , उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित मुद्रा और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रतिमापन इकाई में व्यक्त उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में इंगित संदर्भ राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

सारणी

क्रम सं.	उपशीर्ष	वस्तु विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात को देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	293621	विटामिन-ए पाल्मिटेट (विटामिन ए पाल्मिटेट 1.6 एमआईयू/ग्राम को छोड़कर)	कोई	स्विटजरलैंड	कोई	डीएसएम पोषण संबंधी उत्पादों एजी स्विटजरलैंड	डीएसएम न्यूट्रीशनस प्रोडक्टस एशिया पैसेफिक, डीएमएस सिंगापुर इंडस्ट्रियल पीटीआई लिमिटेड का एक प्रभाग	7.34	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
2	293621	विटामिन-ए पाल्मिटेट (विटामिन ए पाल्मिटेट 1.6 एमआईयू/ग्राम को छोड़कर)	कोई	स्विटजरलैंड	चीन जनवादी गणराज्य से इतर अन्य कोई देश	उपरोक्त के अलावा कोई	कोई	8.92	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
3	293621	विटामिन-ए पाल्मिटेट (विटामिन ए पाल्मिटेट 1.6 एमआईयू/ग्राम को छोड़कर)	कोई	चीन जनवादी गणराज्य से इतर अन्य कोई देश	स्विटजरलैंड	कोई	कोई	8.92	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
4	293621	विटामिन-ए पाल्मिटेट (विटामिन ए पाल्मिटेट 1.6 एमआईयू/ग्राम को छोड़कर)	कोई	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	कोई	15.37	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
5	293621	विटामिन-ए पाल्मिटेट (विटामिन ए पाल्मिटेट 1.6 एमआईयू/ग्राम को छोड़कर)	कोई	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	कोई	15.37	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर

टिप्पणी- "विटामिन ए पाल्मिटेट में विटामिन पाल्मिटेट 1.7 एमआईयू/ग्राम और विटामिन ए पाल्मिटेट 1.0 एमआईयू/ग्राम सभी शक्ति एवं रूपों में शामिल है" यह विटामिन ए पाल्मिटेट 1.6 एमआईयू/ग्राम का अपवर्जन करती है।

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्ग्रहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण:— इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू "विनिमय दर" वहीं होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा. सं. 354/31/2007-टीआरयू (भाग-1)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2013

No. 30/2013-CUSTOMS (ADD)

G.S.R. 735 (E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 15/7/2011-DGAD, dated the 23rd March, 2012, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Vitamin A Palmitate (hereinafter referred to as the subject goods) falling under sub-heading 2936 21 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from Switzerland and the People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 112/2007 dated the 30th October, 2007 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, *vide* G.S.R. No. 683 (E), dated the 30th October, 2007.

And whereas, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject countries upto and inclusive of the 27th March, 2013 *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2012–Customs (ADD) dated the 12th April, 2012, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R No. 290 (E), dated the 12th April, 2012.

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, the designated authority *vide* its final findings, *vide* Notification No. 15/7/2011-DGAD dated the 21st August, 2013, published in Part I, Section 1, of the Gazette of India, Extraordinary, has come to the conclusion that,—

(i) the subject goods from subject countries are entering the Indian market at dumped prices and dumping margin is significant;

(ii) the subject goods continue to be exported to India at dumped prices despite the existing anti dumping duties and there is a likelihood of its continuation should the existing anti-dumping duties are allowed to expire;

(iii) the injury to the domestic industry is likely to continue in the event of withdrawal of anti dumping duty from the subject countries;

(iv) the situation of domestic industry continues to be fragile and therefore should the present anti dumping duties from the subject countries be withdrawn, injury to the domestic industry is likely to recur,

and has recommended to continue imposition of the anti-dumping duty against the subject goods, originating in or exported from the subject countries;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with Sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under sub-heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), the specification of which is specified in column (4) of the said Table, originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (6), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), and exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (9) in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10), of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Sub-heading	Description of goods	Specifi-cation	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measure-ment	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	293621	Vitamin-A Palmitate (excluding Vitamin A Palmitate 1.6 MIU/gm)	Any	Switzerland	Any	DSM Nutritional Products, AG Switzerland	DSM Nutritional Products Asia Pacific, a division of DSM Singapore Industrial Pte Ltd.	7.34	Kg	US $
2	293621	Vitamin-A Palmitate (excluding Vitamin A Palmitate 1.6 MIU/gm)	Any	Switzerland	Any other than People's Republic of China	Any other than above	Any	8.92	Kg	US $
3	293621	Vitamin-A Palmitate (excluding Vitamin A Palmitate 1.6 MIU/gm)	Any	Any other than People's Republic of China	Switzerland	Any	Any	8.92	Kg	US $
4	293621	Vitamin-A Palmitate (excluding Vitamin A Palmitate	Any	People's Republic of China	Any	Any	Any	15.37	Kg	US $

		1.6 MIU/gm)								
5	293621	Vitamin-A Palmitate (excluding Vitamin A Palmitate 1.6 MIU/gm)	Any	Any	People's Republic of China	Any	Any	15.37	Kg	US $

Note : Vitamin A Palmitate covers Vitamin A Palmitate 1.7 MIU/gm and Vitamin A Palmitate 1.0 MIU/gm in all its strengths and forms. It excludes Vitamin A Palmitate 1.6 MIU/gm.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be paid in Indian currency.

Explanation.— For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/31 /2007-TRU (Pt.I)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली , 13 नवम्बर, 2013

सं. 31/2013-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 736 (अ).—अभिहीत प्राधिकारी ने, चीन गणराज्य में मूलतः उद्गमित या वहां से निर्यातित उपशीर्ष 2942 के अंतर्गत "डायक्लोफैनेक सोडियम" आयात के मामले में अधिसूचना सं. 15/3/2013-डीजीएडी, तारीख 9 अप्रैल, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 1 में तारीख 9 अप्रैल, 2013 के द्वारा प्रकाशित की गई थी के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 91/2008-सीमा शुल्क, तारीख 30 जुलाई, 2008, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II,खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 565 (अ) तारीख 30 जुलाई, 2008 के द्वारा प्रकाशित के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के संबंध में, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (5) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम , 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की थी और उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के तहत, अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क समाप्त होने की तारीख से एक वर्ष और बढ़ाने की सिफारिश की थी;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) तथा उप-धारा (5) तथा उक्त नियम के नियम 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 91/2008-सीमा शुल्क, तारीख 30 जुलाई, 2008 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 565 (अ) तारीख 30 जुलाई, 2008 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात, निम्नंलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"3. उपर्युक्त निहित के बावजूद, इस अधिसूचना द्वारा अधिरोपित पतिपाटन शुल्क, 9 अप्रैल, 2014 जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तक प्रभावी रहेगी ।"

[फा. सं. 354/21/2008-टीआरयू (भाग-I)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 91/2008-सीमा शुल्क, तारीख 30 जुलाई, 2008, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 565 (अ) तारीख 30 जुलाई, 2008 के द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2013

No. 31/2013-Customs (ADD)

G.S.R. 736 (E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No. 15/3/2013-DGAD, dated the 9th April, 2013, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 9th April, 2013, had initiated review, in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on Diclofenac Sodium, falling under heading 2942 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, People's Republic of China imposed vide notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 91/2008-Customs, dated the 30th July, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 565 (E), dated the 30th July, 2008, and has requested for extension of anti-dumping duty for a further period of one year, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 91/2008-Customs, dated the 30th July, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 565 (E), dated the 30th July, 2008, namely: —

In the said notification, after paragraph 2, the following shall be inserted, namely: —

"3. Notwithstanding anything contained hereinabove, this notification shall remain in force up to and inclusive of the 9th day of April, 2014."

[F. No. 354/21/2008-TRU (Pt-I)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note: The principal notification No. 91/2008-Customs, dated the 30th July, 2008 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 565 (E), dated the 30th July, 2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.